संख्या : ३५५ /VII-1/2017/18–ख/17

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

2. निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांकः ०३ जनवरी, 2018**

विषयः जनपद हरिद्वार स्थित गंगा नदी के Flood Plain में निजी खनन पट्टों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–548/VII-1/18–ख/2017, दिनांक 25 मई, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गंगा नदी के Flood Plain में River Channelization के दृष्टिकोण से निजी भूमि के खनन पट्टाधारकों द्वारा केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान से अध्ययन कराये जाने के उपरान्त ही उपयुक्त पाये जाने पर उक्त खनन पट्टों को संचालित किये जाने की कार्यवाही किये जाने तथा उक्त कार्यवाही से पूर्व निजी नाप भूमि के खनन पट्टों के संबंध में केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान से अध्ययन कराये जाने की सूचना शासन उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी।

2. उपरोक्त के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि राज्य में उपखनिज चुगान नीति तथा ई०आई०ए० नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त होने, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत National Board of Wild Life की वांछित अनुमति (यदि लागू हो) प्राप्त होने के उपरान्त निजी नाप भूमि में खनन पट्टे स्वीकृत किये जाते हैं तथापि शासन के उक्त संगत पत्र दिनांक 25.5.2017 द्वारा गंगा नदी के Flood Plain में River Channelization के दृष्टिकोण से निजी भूमि के खनन पट्टों में केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान से अध्ययन कराये जाने के उपरान्त ही उपयुक्त पाये जाने पर खनन पट्टों को संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया था।

3. इस सन्दर्भ में निदेशक, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या–1184–86/35(Cdn) /2017, दिनांक 11 मई, 2017 द्वारा केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान की स्थिति से निम्नवत् अवगत कराया गया है :–

> "I am to inform you that the industrial plants like stone crusher etc. do not come under the purview of our research Institute which is working on soil and water conservation vis-à-vis agriculture. Moreover we do not cover private lands for estimation of RBM extraction. Considering the scope of work of the proposed committee, thus scientists working in this institute have no industrial experience relating to crusher, screening plant etc. to help the State for necessary recommendation hence it will not be possible to depute any scientist as a member of the committee for the purpose mentioned."

4. जनपद हरिद्वार के क्षेत्रान्तर्गत निजी नाप भूमि में स्वीकृत खनन पट्टों में भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून के स्तर से अध्ययन किये जाने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण सम्प्रति जनपद हरिद्वार के क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत निजी खनन पट्टों में चुगान कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है, जिससे राजस्व क्षति हो रही है और स्थानीय जनता को उपखनिज आपूर्ति सुगमता से नहीं हो पा रही है।

अतः उक्त के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संगत पत्र दिनांक 25 मई, 2017 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव